पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 02 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–23.06.2024

दिनांक 22/23.06.2024 को थाना सैरपुर 01, तालकटोरा 01 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में थाना ठाकुरगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 02 अभियुक्त व एनबीडब्ल्यू में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना गुडम्बा–दिनांक 23.06.2024 को थाना गुडम्बा द्वारा बताया गया कि वादी श्री सुनील कुमार तिवारी पुत्र स्व0 श्री कृष्ण कुमार तिवारी निवासी–फूलबाग कालोनी, कुर्सी रोड, कंचना बिहारी मार्ग थाना गुडम्बा लखनऊ ने थाना गुडम्बा पर सूचना दिया कि दिनांक 10.06.2024 को दिन में करीब 12.25 मिनट पर वादी के मोबाइल नं0 पर एक वाट्सअप वीडियो काल मो0नं0 7588559243 से आती है, वीडियो कॉल में इंस्पेक्टर की वर्दी वाली चित्र को लगाकर जैसे कि लगता था कि वह अपने थाने पर बैठकर बात कर रहा है। कॉल करने वाला कहता है कि वादी के लड़के ने मार पीट की है जिसके तीन साथियों को थाने पर बैठा लिया गया है जो कि रेप केस के दोषी हैं। इसमें आपका का बच्चा जो कि मुझे दोषी नहीं लगता है। किन्तु फिर भी उसका एफ0आई0आर0 में नाम है। यदि बच्चे को बचाना है तो बताओ और अकेले में बात करो फिर आपके बच्चे का नाम एफआईआर से हटा देंगें। नहीं तो सोशल मीडिया पर इसकी फोटो चली जायेगी और आपकी बहुत बदनामी होगी और बच्चे का भविष्य व कैरियर खराब हो जायेगा। यदि केस कोर्ट में चला गया तो बच्चे को 07 साल तक की सजा हो सकती है। यह सब सुनकर वादी बहुत घबरा गया। इसके बाद वादी के मोबाइल नं0 पर समय 12.31 बजे व 12.43 बजे वीडियो कॉल आती है कि आप कुछ पैसा भेज दो तो आपके लड़के का नाम हट जायेगा। वादी के कहने पर लड़के के रोने की आवाज दो से तीन बार सुनावाई जो कि जो कि वादी के लड़के से मिलती जुलती ही आवाज थी। उसने वादी के लड़के की आवाज में कहा कि पापा मुझे बचा लो, यह लोग मुझे बहुत प्रताड़ित कर मार पीट रहे हैं। जिसकी आवाज सुनकर वादी और अधिक घबरा गया और उक्त लोगों ने कहा कि तीन से चार बार में गूगल पे के माध्यम से पैसा भेज दो। वादी ने आन लाइन गूगल पे न कर पाने के बारे बताया तो उक्त लोगों ने कहा कि किसी की मदद से पैसे भिजवा दो। इस पर वादी ने अपने सहयोगी नीरज श्रीवास्तव जी से मदद मांगी और उक्त लोगों के के दिये गये नं0 पर 40 हजार रूपये भिजवा दिये। इसके बाद वादी से कहा गया कि बड़े साहब पुलिस अधिकारी महोदय को भी पैसे देने हैं और वह 02 लाख रूपये मांग रहें हैं। जब वादी ने इतने पैसे न दे पाने में असमर्थता जतायी तो उक्त ने वादी के लड़के का जीवन व भविष्य खराब कर देने की धमकी देते हुये पैसे भेजने के लिये कहा। जिसके बाद वादी ने अपने मित्र के गूगल पे से उनके द्वारा दिये गये अलग अलग मो0नं0 पर 50–50 हजार रूपये भेजे। इसके बाद पुनः लॉकअप से छुड़वाने के लिए हथकड़ी वाले सिपाही के नाम भी 20 हजार भेजे। इस प्रकार वादी ने कुल 01 लाख 60 हजार रूपये का भुगतान किया। इसके बाद जब वादी की बात अपने पुत्र से हुयी तो पता चला कि वह अपने घर पर सो रहा था और वादी से उठकर बात की। तब वादी का पता चला कि वादी के साथ धोखाधड़ी हो गयी है। **इस सूचना पर थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0 237/420 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना सरोजनीनगर–दिनांक 23.06.2024 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री ओमप्रकाश पाण्डेय पुत्र स्व0 श्री रूद्रपाल पाण्डेय निवासी–ग्राम रानीपुर दरोगाखेड़ा नई कालोनी (निकट रानीपुर प्राथमिक विद्यालय) थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 17.06.2024 को वादी सपरिवार अपने पैतृक निवास प्रतापगढ़ बड़ा मंगल भण्डारा कार्यक्रम में सम्मिलित होने गया था। दिनांक 19.06.2024 को दोपहर करीब 01.00 बजे के करीब वादी जब लखनऊ स्थित अपने उक्त आवास पर वापस आया तो देखा कि घर के दरवाजे के ताले टूटे हुये थे घर में रखी आलमारी के लॉकर में रखे सोने–चांदी के कीमती जेवरात व 35 हजार रूपये नकदी को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी ने अभी तक अपने स्तर से काफी तलाश किया परन्तु कोई जानकारी नहीं हो पायी है। **इस सूचना पर थाना सरोजनीनगर पर मु0अ0सं0 253/2024 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना चिनहट–दिनांक 23.01.2024 को थाना चिनहट द्वारा बताया गया कि डा0 राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ से थाना स्थानीय पर एक मेमो इस आशय का भेजा गया कि आज दिनांक 23.06.2024 को समय करीब 05.00 बजे प्रातः में एक व्यक्ति उपेन्द्र पटेल उम्र करीब 22 वर्ष को इस चिकित्सालय में मृत अवस्था में लाया गया जो कि फांसी लगाया हुआ था। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री प्रमोद कुमार मो0नं0 9451111213 थाना चिनहट द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक उपेन्द्र पटेल उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र बृजपाल पटेल निवासी–घोरइया थाना टैहरौली जनपद झांसी हालपता–आनन्द लोक कालोनी सेमरा, थाना चिनहट लखनऊ में किराये का मकान में अपनी बहन व बड़े भाई के साथ रहता था। बीति रात्रि में उक्त किराये के मकान में लगे पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा लिया। मृतक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था।